



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 20.07.2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कांधला/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 02 माह कारावास की सजा, साथ ही 500/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 1997 को थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त इन्तजार पुत्र जमील निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मु 0अ0सं0 222/1997 धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त इन्तजार को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कांधला/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.07.2022 को माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त इन्तजार उपरोक्त को **02 माह का कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. इन्तजार पुत्र जमील निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल/ अभियोजन द्वारा हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 05 हत्याभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा साथ ही 10-10 हजार रुपये का किया गया अर्थदण्ड:-

वर्ष 2009 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत 05 अभियुक्त केसर उर्फ तोता पुत्र जबरदीन निवासी ग्राम पलहेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली, विक्रम पुत्र सरदारा निवासी डेरा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, संजीव उर्फ संजू पुत्र कवरपाल निवासी अफगनान कला थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, धमेन्द्र पुत्र पहल सिंह निवासी मो0 कानून गोयान थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, असजद उर्फ अमजद पुत्र अय्यूब निवासी चकबाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा एकराय होकर इकराम पुत्र बदरुद्दीन व वादी का भतीजा अनवर निवासीगण ग्राम पलखेडा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली की हत्या कर दी गई थी। जिसके संबंध में मृतक के पिता बदरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन निवासी उपरोक्त द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 275/09 धारा 302,34,394,411,120बी भादवि के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना झिंझाना/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 20.07.2022 को माननीय न्यायालय पोस्को द्वितीय मु0नगर द्वारा पाचों अभियुक्तों को धारा 302,34,120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पीडित परिवार द्वारा पुलिस के किये प्रयासों से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. केसर उर्फ तोता पुत्र जबरदीन निवासी ग्राम पलहेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2. विक्रम पुत्र सरदारा निवासी डेरा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
3. संजीव उर्फ संजू पुत्र कवरपाल निवासी अफगनान कला थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
4. धमेन्द्र पुत्र पहल सिंह निवासी मो0 कानून गोयान थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
5. असजद उर्फ अमजद पुत्र अय्यूब निवासी चकबाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।